FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/12	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 87 / 2020 मिश्रीलाल बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी अन्तर्गत धारा 136 भू.राज.अधिनियम 1956 वास्ते रेकार्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया एवं सरहद मौजा ग्राम खाराबेरा पुरोहितान पटवार,हल्का ,खाराबेरा पुरोहितान भू.अ.नि क्षेत्र काकाणी तहसील लूणी के खसरा नम्बर 233 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा ,खसरा न.234 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा खसरा न.236 रकबा 16 बीघा 06 बिस्वा खसरा न. 249 / 1रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा खसरा न.719 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा खसरा प. 742 रकबा 11 बीघा 09बिस्वा खसरा न. 861 रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा न.7 कुल रकबा 100 बीघा 9बिस्वा कृषि भुमि आई हुई है जिसमे प्रार्थी के पिता स्व.किशनराम के फौत होने के बाद जरिये विरासत का फौतदगी म्युटेशन मे प्रार्थी का नाम मिश्रालाल इन्द्राज होने के बावजूद राजस्व रेकर्ड मे मिसराराम दर्ज कर दिया जो गलत है। इनको दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सही दस्तावेज प्रस्तुत किये यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड, के फोटु कॉपी दस्तावेज प्रस्तुत किये जो सभी दस्तावेज मिश्रालाल के नाम से है एव मिश्रालाल नाम का अन्य कोई व्यक्ति उक्त खसरान के खातेदार नही है। इसलिए उक्त खसरान की कृषि भूमि मे प्रविष्ट खातेदार का मिसराराम के स्थान पर संशोधित व दुरस्त करते हुऐ मिश्रालाल किये जाने कस निवेदन किया पत्रावली पर संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट कमांक / भू.अ / 2020 / 6131 दिनांक 04 / 11 / 2020 की जॉच रिपोर्ट मे भी ग्राम खाराबेरा पुरोहितान के खसरा न. 233 234 236	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

249/1 719 742 व 861 मे नामान्तरण सख्या 54 के तहत प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार मिश्राराम पिता0 किशनराम कौम जाट दर्ज है । इस प्रकार के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम मिसराराम दर्ज होना लिपीकीय त्रुटी है जिसे दुरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज,भू,राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाता है।तहसीलदार लूणी कि रिपोर्ट कमांक/भू.अ/2020/6131 दिनाक 4.11.2020 के अनुसार प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि मौजा ग्राम खाराबेरा पुरोहितान के खसरा न, 233 234 236 249/1 719 742 व 861 मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज प्रार्थी का नाम मिसराराम के स्थान पर मिश्रीलाल किया जावे। एव तहसीलदार लूणी को रेकर्ड मे दुरस्ती करने हेतु तहरीर जारी हो आदेश सुनाया गया पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी